न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर,केम्प सागर

1. गंगादीन तनय गोरेलाल कुर्मी
2. श्रीमति कुजंन बेवा गोरेलाल कुर्मी
   निवासी ग्राम खुमानगंज तह. पलेरा जिला टीकमगढ .....निगरानीकर्तागण

विरूद्व

1. श्रीमति चंदू पुत्री गोरेलाल पत्नि बृजकिशोर
2. श्रीमति चंपा पुत्री गोरेलाल पत्नि किशन कुर्मी
3. श्रीमति कौशा पुत्री गोरेलाल पत्नि किशन कुर्मी
   मृतक वारसान पुत्र गोलू तनय किशन कुर्मी
   तीनो निवासी चौकरी तह. मउरानीपुर जिला झांसी
4. गनेशी पुत्री गोरेलाल पत्नि हरिशचन्द्र कुर्मी
5. श्रीमति मुन्ना पुत्री गोरेलाल पत्नि परमलाल कुर्मी
   दोनों निवासी खुमानगंज तह. पलेरा जिला टीकमगढ
6. श्रीमति फुल्ली पुत्री गोरेलाल पत्नि बाबूलाल कुर्मी
   निवासी वुडावली तह. मउरानीपुर जिला झांसी
7. श्रीमति जसोदा पुत्री गोरेलाल पत्नि राजू कुर्मी
   निवासी कुंडवन्छौरा तह. नौगांव जिला छतरपुर .....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी जतारा जिला टीकमगढ द्वारा प्रकरण क्र 36/अपील/2012–13 पारित आदेश दिनांक 6/04/16 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेख में मृतक गोरेलाल कुर्मी के नाम पर दर्ज थी तथा वर्ष 2004 में गोरेलाल कुर्मी का स्वर्गवास होने के पश्चात् उभय पक्ष के आपसी सहमति से राजस्व अभिलेख में मृतक के स्थान पर निगरानीकर्तागण का नामातंरण पंजी क्र 2 दिनांक 26/3/05 पर नामांतरण स्वीकृत किया गया था जिसके विरूद्व

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1245-दो/2016 जिला टीकमगढ़ गंगादीन विरूद्ध चंदु

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जतारा जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 36/अपील/ 2012-13 में पारित आदेश दिनांक 06-04-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 20-04-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

05/2/19

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 15-04-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 05/02/19
सदस्य